



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

ज्येष्ठ 10, गुरुवार, शाके 1934-मई 31, 2012

ज्येष्ठ 10 Thursday, Saka 1934-May 31, 2012

भाग 6 (ख)

जिला बोर्ड, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 30, 2012

संख्या प. 27(31)पर्या/78 पार्ट :- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 मई 2012 की क्रम संख्या 2 पर शासन सचिव, पर्यावरण विभाग को जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 4 की उप-धारा 2 (ब) के अन्तर्गत राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर का सदस्य मनोनीत किया गया था। अब एतद्वारा शासन सचिव, पर्यावरण के स्थान पर उप शासन सचिव एवं निदेशक, पर्यावरण विभाग को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर का सदस्य मनोनीत किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

सकटा प्रसाद,  
शासन सचिव।

83

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

राजस्थान सरकार  
पर्यावरण विभाग

क्रमांक : प.27(31)पर्या/78 पार्ट-11

जयपुर दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

10 JUN 2012

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, पर्यावरण मंत्री, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ट सहायक समस्त मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्रीगण/राजस्थान जयपुर।
5. उर्षे सचिव, मुख्यसचिव, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण राजस्थान जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, कार्गिक विभाग को कार्गिक (क-1) विभाग की आज्ञा संख्या प. 5(3)कार्गिक/क-1/2008 दिनांक 12.11.2009 के क्रम में।
8. निजी सचिव, पर्यावरण सचिव, राजस्थान जयपुर।
9. समस्त शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
10. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्य गण।
11. प्रशासनिक सुधार (मुप-3)विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
12. सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय जयपुर।
13. सचिव पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार लोदी रोड नई दिल्ली।
14. अध्यक्ष केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल नई दिल्ली।

शासन सचिव